

[2024] 4 एस. सी. आर 686 : 2024 आईएनएससी 323

रामायण सिंह

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 2168/2024)

19 अप्रैल 2024

[न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा]

विचार के लिए मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत देते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत अपने विवेकाधिकार का उचित प्रयोग किया।

हेडनोट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 439- जमानत देने के विवेक का उपयोग मनमाने ढंग से, स्वेच्छाचारी और अनुचित तरीके से नहीं किया जाना चाहिए- अपील की अनुमति- उच्च न्यायालय को (i) अपराध की गंभीरता; (ii) अभियुक्त व्यक्तियों के आचरण; और (iii) समाज पर अपराध के समग्र प्रभाव के कारण जमानत नहीं देना चाहिए था।

अभिनिर्धारित किया: अभियुक्त व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427, 394, 411, 302 और 120-ख और आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 की धारा 7 के तहत आरोप लगाया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गया था।- अपीलार्थी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के संबंध में जिसमें कहा गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और एक सह-अभियुक्त ने उस पर, उसके चाचा (मृतक) और एक अन्य व्यक्ति पर हमला किया- विचारण न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया- विचारण न्यायालय के आदेशों के खिलाफ अपील को अनुमति दी गयी- उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई- अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के आदेशों की शुद्धता को चुनौती दी- अपील को अनुमति दी गयी- जमानत देने में विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग शामिल है जिसका मनमाने ढंग से, स्वेच्छाचारिता से और अन्यायपूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए- जमानत (i) अपराध की गंभीरता (ii) अभियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) का आचरण; और (iii) बड़े पैमाने पर समाज पर अपराध के समग्र प्रभाव के कारण नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि अभियुक्त व्यक्तियों का क्षेत्र में भारी प्रभाव था। [पैरा 15, 19]

उद्धृत केस कानून

नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2014] 12 एससीआर 453: (2014) 16 एससीसी 508; प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी [2010] 12 एससीआर 1165: (2010) 14 एससीसी 496; महिपाल बनाम राजेश कुमार [2019] 14 एससीआर 529: (2020) 2 एससीसी 118- पर अवलम्ब।

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973.

मुख्य शब्दों की सूची

जमानत देना; दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग; जमानत देने के लिए मानदंड।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मामला निम्न से उद्भूत

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: दण्डिक अपील संख्या 2168/2024

सीआरएमबीए संख्या 11828/2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 24.04.2023 के निर्णय और आदेश से

साथ में

दण्डिक अपील संख्या 2169/2024

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्तागण देवव्रत, संजय कुमार यादव, पृथ्वी पाल, मनोज जैन।

प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्तागण सुधीर कुमार सक्सेना, वरिष्ठ अधिवक्ता, लोकेश कुमार चौधरी, सुश्री तुलिका मुखर्जी, अजय सिंह, सुश्री स्नेह सुमन, बीनू शर्मा, वेंकट नारायण, सुबोध एस. पाटिल।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा

1. अनुमति प्रदान की गयी।
2. एसएलपी (आपराधिक) संख्या 14988/2023 से उत्पन्न होने वाली वर्तमान अपील द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ("**उच्च न्यायालय**") के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 24.04.2023 के फैसले की शुद्धता को चुनौती दी गयी है, जिसमें उच्च न्यायालय ने विवेक पाल @ विकी पाल/प्रत्यर्थी सं. 2 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 ("**सीआरपीसी**") की धारा 439 के तहत जमानत याचिका

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को अनुमति दी और तदनुसार ("**आक्षेपित आदेश**") में कुछ शर्तों के अधीन प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर छोड़ दिया गया।

3. दिनांक 31.10.2023 के एक आदेश द्वारा, एक सह-अभियुक्त पुनीत पाल को उच्च न्यायालय की एक समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उस आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को एसएलपी (आपराधिक) संख्या 355/2024 में 02.01.2024 दिनांकित एक आदेश के माध्यम से वर्तमान अपील के साथ जोड़ दिया गया है। इसके अलावा, चूंकि वर्तमान अपीलों में शामिल तथ्य और प्रश्न समान हैं, इसलिए उनकी एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निस्तारण किया जा रहा है।

4. मामले के तथ्यों से पता चलता है कि एक प्रथम सूचना रिपोर्ट ("प्राथमिकी") अपीलकर्ता यानी मूल परिवादी द्वारा 03.01.2022 को दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि 02.01.2022 को लगभग 3:30 बजे अपीलकर्ता अपने चाचा यानी जितेंद्र सिंह ("मृत") और उनके चालक यानी राहुल के साथ बंकाटी बाजार से लौट रहा था, जब उनके वाहन को (i) प्रत्यर्थी संख्या 2 और (ii) पुनीत पाल सहित अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा रोक लिया गया। अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक के साथ मौखिक रूप से दुर्यवहार किया और लोहे की छड़ से वाहन की खिड़कियों को तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने मृतक को वाहन से बाहर खींच लिया और उसे मारने के इरादे से लोहे की रॉड, हॉकी स्टिक और बैट से शारीरिक रूप से हमला किया। यह भी आरोप लगाया गया कि हालाँकि अपीलार्थी और राहुल अर्थात् चालक ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन वे अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा घायल कर दिए गए। आरोपी व्यक्तियों ने मृतक और चालक के मोबाइल फोन छीन लिए; साथ ही मृतक की एक सोने की चेन छीन ली और घटना स्थल से भाग गए। मृतक को शुरू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बांकाटी ले जाया गया, हालाँकि, चोटों

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की गंभीर प्रकृति के कारण उसे जिला अस्पताल, बस्ती और उसके बाद लखनऊ के सहारा अस्पताल में भेजा गया, जहाँ उसने अंततः 10.02.2022 को दम तोड़ दिया।

5. उसी दिन अर्थात्, 10.02.2022 को (i) मृतक के शव का पंचायतनामा तैयार किया गया जिसमें सिर, हाथ और घुटने पर चोटें दर्ज की गई थीं; और (ii) एक पोस्टमार्टम किया गया था जिसमें मृतक के शरीर पर 4 (चार) गंभीर मृत्यु पूर्व सिर की चोटों का पता चला था। उल्लेखनीय है कि मृत्यु के कारण की पहचान मृत्यु पूर्व सिर की चोटों के कारण कोमा के रूप में की गई थी।

6. उल्लेखनीय रूप से, प्रत्यर्थी संख्या 2 को 05.01.2022 को प्राथमिकी के संबंध में गिरफ्तार किया गया और हत्या का हथियार यानी मृतक के हमले में इस्तेमाल किया गया एक बल्ला भी उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया। दूसरी ओर, पुनीत पाल को 07.01.2022 को गिरफ्तार किया गया। एफआईआर के संबंध में दिनांक 14.03.2022 को भारतीय दंड संहिता, 1872 (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427, 394, 411, 302 व 120 ख और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 7 के तहत एक आरोप पत्र दायर किया गया। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, सुपुर्द की कार्यवाही शुरू हुई और उसके बाद 19.04.2023 के एक आदेश के माध्यम से आरोपी व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ आरोप तय किए गए।

7. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने विद्वान सत्र न्यायाधीश, बस्ती ("**विचारण न्यायालय**") के समक्ष प्राथमिकी से व्युत्पन्न कार्यवाही (ओं) के संबंध में जमानत देने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 15.03.2022 के एक आदेश के माध्यम से, उपरोक्त जमानत आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने जमानत देने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. दूसरी ओर, पुनीत पाल ने निचली अदालत के समक्ष एफआईआर से व्युत्पन्न कार्यवाही के संबंध में जमानत देने के लिए एक आवेदन दायर किया। दिनांक 29.03.2022 के एक आदेश के माध्यम से, उपरोक्त जमानत आवेदन को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद, पुनीत पाल ने जमानत देने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.10.2023 के एक आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई।

9. अपीलार्थी अर्थात् मूल परिवादी ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश (आदेशों) की शुद्धता को चुनौती देते हुए वर्तमान अपीलें दायर कीं, जिसमें एफआईआर के संबंध में (i) प्रत्यर्थी संख्या 2; और (ii) पुनीत पाल को जमानत पर रखा किया गया था।

10. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाएं की:

(क) उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थी संख्या 2 और पुनीत पाल को जमानत देने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग इस तथ्य के आलोक में नहीं करना चाहिए था कि (i) अभियुक्त व्यक्ति (ओं) के खिलाफ आरोप तय किए गए थे; (ii) मृतक के हमले में उपयोग किए गए हथियार की बरामदगी प्रत्यर्थी संख्या 2 से हुई है; (iii) प्रत्यर्थी संख्या 2 और पुनीत पाल को जमानत देने से इनकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा सुविचारित आदेश पारित किए गए थे;

(ख) यह कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और पुनीत पाल सहित अभियुक्त व्यक्ति (ओं) द्वारा क्षेत्र में भारी प्रभाव के आलोक में गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता के लिए एक वास्तविक और संभावित खतरा है, घटना के बाद घटना स्थल के पास की सभी दुकानें 10 (दस) दिनों की अवधि के लिए बंद रहीं; और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(ग) प्रत्यर्थी संख्या 2 और पुनीत पाल ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, यानी एक पहचाने गए गवाह ने पहले विचारण न्यायालय से पुलिस सुरक्षा की मांग की थी क्योंकि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान उसे धमकियां दी गई थीं; और यह विशेष रूप से तर्क दिया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और पुनीत पाल द्वारा अपीलकर्ता को धमकियां दी गई थीं।

11. प्रत्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के रुख का समर्थन किया। इसके अलावा, यह हमारे ध्यान में लाया गया था कि दोनों प्रत्यर्थी संख्या 2 और पुनीत पाल पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत भी मुकदमा चलाया जा रहा था।

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 2 और पुनीत पाल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार सक्सेना ने इस प्रकार जोरदार तर्क दिया है:

(क) यह कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और पुनीत पाल विचारण में सहयोग कर रहे हैं, हालांकि अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही रोक दी है; और

(ख) प्रत्यर्थी संख्या 2 और पुनीत पाल के विरुद्ध अपीलार्थी को धमकाने का लगाया गया आरोप पूरी तरह से गलत था और वास्तव में, प्रत्यर्थी संख्या 2 और पुनीत पाल को गलत साबित करने के लिए एक सुनियोजित प्रयास का एक भाग है; और

13. हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का परिशीलन किया है।

14. इस न्यायालय के समक्ष विवाद का आधार यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने एफआईआर से व्युत्पन्न कार्यवाहियों के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 और पुनीत पाल

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को जमानत देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत अपने विवेकाधिकार का उचित उपयोग किया है?

15. यह सुस्थापित है कि जमानत देने में एक विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग शामिल है जिसका उपयोग मनमाने ढंग से, स्वेच्छापूर्वक और अनुचित तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।¹ उपरोक्त दृष्टिकोण में, हमें एफआईआर से व्युत्पन्न कार्यवाहियों के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 और पुनीत पाल को जमानत प्रदान करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश (आदेशों) की शुद्धता का आकलन करना चाहिए।

16. प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी, (2010) 14 एससीसी 496 में इस न्यायालय ने कुछ मापदंडों का प्रतिपादन किया जिन पर जमानत देने वाले आदेश का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

“9. ... यह सामान्य बात है कि यह न्यायालय आम तौर पर अभियुक्त को जमानत देने या अस्वीकार करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश [आशीष चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, सीआरएम संख्या 272/2010, दिनांक 11-1-2010 (कलकत्ता)] में हस्तक्षेप नहीं करता है। तथापि, उच्च न्यायालय पर यह समान रूप से दायित्व है कि वह इस मुद्दे पर इस न्यायालय के कई निर्णयों में निर्धारित बुनियादी सिद्धांतों का पालन करते हुए विवेकपूर्ण, सावधानीपूर्वक और सख्ती से अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करे। यह सुस्थापित है कि अन्य परिस्थितियों के अलावा, जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वे निम्न हैं:

1 नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2014] 12 एससीआर 453: (2014) 16 एससीसी 508

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) क्या यह मानने के लिए कोई प्रथमदृष्टया या उचित आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था;
- (ii) आरोप की प्रकृति और गंभीरता;
- (iii) दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता;
- (iv) जमानत पर रिहा होने पर अभियुक्त के फरार होने या भागने का खतरा;
- (v) अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन, स्थिति और रूख,
- (vi) अपराध के दोहराये जाने की संभावना;
- (vii) गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका; और
- (viii) निश्चित रूप से, जमानत देने से न्याय के विफल होने का खतरा।

10. यह स्पष्ट है कि यदि उच्च न्यायालय इन प्रासंगिक विचारों पर ध्यान नहीं देता है और यांत्रिक रूप से जमानत प्रदान करता है, तो उक्त आदेश मस्तिष्क का उपयोग न करने के दुष्प्रभाव से ग्रस्त होगा, जिससे यह अवैध हो जाएगा।”

17. इसके अलावा, इस न्यायालय ने महिपाल बनाम राजेश कुमार, (2020) 2 एससीसी 118 में प्रशांत कुमार सरकार (सुप्रा) का अनुसरण किया और जमानत देने वाले आदेश के संबंध में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया। प्रासंगिक पैराग्राफ को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“14. अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने का प्रावधान किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। यही कारण है कि यह न्यायालय आम तौर पर जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तथापि, जहां जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय के विवेकाधिकार का उपयोग उचित विवेक के बिना या इस न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन में किया गया है, जमानत देने वाले ऐसे आदेश को रद्द किया जा सकता है। न्यायालय को अन्य बातों के अलावा, प्रथमदृष्टया यह विचार कि अभियुक्त ने अपराध किया था, अपराध की प्रकृति और गंभीरता और अभियुक्त द्वारा किसी भी तरह से विचारण की कार्यवाही में बाधा डालने या न्याय की प्रक्रिया से बचने की संभावना पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जमानत पर रिहा होने का प्रावधान न्याय के प्रशासन में सार्वजनिक हित और मामले के निर्णय तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के बीच एक उचित संतुलन बनाता है। हालाँकि, जमानत को कानून की सीमाओं के भीतर और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन में सुरक्षित किया जाना है। यही कारण है कि एक अदालत को कई कारकों को संतुलित करना चाहिए जो मामले-दर-मामले के आधार पर जमानत देने के लिए विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग को निर्देशित करते हैं। इस निर्धारण में अंतर्निहित यह है कि क्या, अभिलेख के विश्लेषण पर, यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने का कोई प्रथमदृष्टया या उचित कारण है कि अभियुक्त ने अपराध किया था। इस स्तर पर न्यायालय के लिए यह प्रासंगिक नहीं है कि वह निर्णायक निष्कर्ष पर आने के लिए अभिलेख पर साक्ष्य की विस्तार से जांच करे।”

18. वर्तमान मुद्दे की ओर बढ़ते हुए, हम ध्यान देते हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 और पुनीत पाल पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य सामग्री और गवाहों के बयानों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427, 394, 411, 302 और 120 ख के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, 2 (दो) अवसरों पर प्रत्यर्थी संख्या 2 और पुनीत पाल के खिलाफ

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आरोप लगाए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने वर्तमान मामले में मुकदमे को पटरी से उतारने के प्रयास में अपीलकर्ता यानी मूल परिवादी और अन्य पहचाने गए गवाहों को धमकाने का प्रयास किया है।

19. तदनुसार, हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय को एफआईआर से उत्पन्न कार्यवाही के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 और पुनीत पाल को निम्न कारणों से जमानत नहीं देनी चाहिए थी, (i) अपराध की गंभीरता; (ii) आरोपी व्यक्ति का आचरण; और (iii) समाज पर अपराध का समग्र प्रभाव अर्थात्, आरोपी व्यक्ति दिन-दहाड़े हत्या में शामिल थे, जिसके कारण क्षेत्र में उनके अत्यधिक प्रभाव के कारण 10 (दस) दिनों की लंबी अवधि के लिए बाजार बंद हो गया था।

20. उपरोक्त संदर्भ में, आरोपी विवेक पाल @ विकी पाल और पुनीत पाल को क्रमशः जमानत देने वाले दिनांक 24.04.2023 और 31.10.2023 के आक्षेपित आदेशों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार उन्हें अपास्त कर दिया जाता है।

21. अपीलों को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है। अभियुक्त विवेक पाल उर्फ विकी पाल और पुनीत पाल का जमानत बंधपत्र रद्द कर दिया जाएगा। पूर्वउल्लिखित व्यक्तियों को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। इस फैसले की एक प्रति आगे की कार्रवाई और आवश्यक अनुपालन के लिए विचारण न्यायालय और थाना लालगंज, बस्ती, उत्तर प्रदेश को भेजी जाएगी। विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस फैसले की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक साल की अवधि के भीतर मुकदमे को शीघ्रता से समाप्त करे।

22. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय में की गई किसी भी टिप्पणी को मुकदमे में मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हेडनोट तैयार कर्ता:

गौरव उपाध्याय, माननीय सहयोगी संपादक

(सत्यापन द्वारा: शिबानी घोष, अधिवक्ता)

मामले का परिणाम:

अपीलों को अनुमति दी गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।